न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 74 / 2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/78)

गुरमुख सिह पुत्र स्वरूप सिह जाति जटसिख साकिन ढाणी सिखान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. संदीप कौर पुत्री स्वरूप सिह पत्नी जसवन्त सिह जाति जटसिख साकिन ढाणी सिखान हाल निवासी मौजूखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
2. लवप्रीत नाबालिग पुत्री जसविन्द्र कौर पुत्री स्वरूप सिह पत्नी कुलवन्त सिह जरिए वली संदीप कौर पुत्री स्वरूप सिह जाति जटसिख साकिन ढाणी सिखान हाल निवासी मौजूखेडा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. हरमीत कौर नाबालिग पुत्री जसविन्द्र कौर पुत्री स्वरूप सिह पत्नी कुलवन्त सिह जरिये वली संदीप कौर पुत्री स्वरूप सिह जाति जटसिख साकिन ढाणी सिखान हाल निवासी मोजूखेडा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
श्री विनोद कुमार पुरोंहित – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 3

निर्णय दिनांकः 31.07.2025

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 16.04.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के प्रकरण संख्या 09 / 2023 अनवान संदीप कौर वगैरह बनाम गुरमुख सिह वगैरह, के निर्णय दिनांक 16.04.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 16.04.2024 को निरस्त कर वसीयत द्वारा दर्ज इन्तकाल दिनांक 06.04.2022 यथावत रखा जाने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि वाके चक 3 बी.के.के. का खाता सं. 101/92 पत्थर नं. 298/427 (55) के किला नं. 6 ता 8, 14 ता 17 कुल 1.328 हैक्टयर भूमि की वसीयत पिता द्वारा खातेदारी भूमि की अपीलान्ट के पक्ष में की गई थी। अपीलाधीन भूमि का स्वरूप सिह के देहान्त के पश्चात एकतरफा तौर पर ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा इन्तकाल संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 को विरासतन इन्तकाल दर्ज कर दिया गया था जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अपील पेश की तथा कथन किया कि उसके पक्ष में वसीयत है, इकतरफा तौर पर दर्ज इन्तकाल निरस्त किया जावे जिस पर दिनांक 05.03.2024 को अपील खारिज कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.03.2024 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स ने अपील न्यायालय हाजा पेश कर रखी है। यह स्पष्ट है कि प्रकरण विवादित है क्योकि विरासतन इन्तकाल दर्ज होता है जिसे निरस्त किया जाता है इसके बाद पुनः वसीयत से इन्तकाल दर्ज होता है इस कारण प्रकरण विवादित था एवं सैक्शन 135 (2) लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रकरण था इस कारण प्रथम अपील संभागीय आयुक्त के संमक्ष ही पेश होती, प्रथम अपील अतिरिक्त कलेक्टर नोहर के समक्ष मेन्टेनेबल नही थी। इस कारण अपीलाधीन क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त योग्य है। प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर पेश की गई थी फिर भी अपील न्यायालय ने मियाद का बिन्दु का निस्तारण किये बिना ही अपील का निर्णय कर दिया जो निरस्त योग्य है। स्वरूप सिह द्वारा वसीयत की गई थी, वसीयत वैध है। अगर वसीयत के बाबत किसी को आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय में दावा करके वसीयत को चैलेन्ज करे व निरस्त करवावे अन्यथा वसीयत वैध मानी जावेगी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2024 को निरस्त कर वसीयत द्वारा दर्ज इन्तकाल दिनांक 06.04.2022 यथावत रखा जावे। अपीलान्ट के विद्वान के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1986 पृष्ठ 253, RRD 1988 पृष्ठ 124, RRD 2002 पृष्ठ 671, RRD 1989 पृष्ठ 340, RRD 1989 पृष्ठ 266, RRD 2003 पृष्ठ 276,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

RRD 1993 पृष्ठ 29, RRD 2004 पृष्ठ 101, RRD 2007 पृष्ठ 520, Guardians and Wards Act 1890 पृष्ठ 406 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि चक 3 बी.के. के. के मुरब्बा नं. 55 किला न. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 कुल 7 किला तादादी 1.3280 हैक्टयर भूमि स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह की कृषि भूमि अंकित रही थी जो उनकी पैतृक कृषि भूमि थी। उनके के पिता स्वरूपसिह का देहान्त दिनांक 01.07.2020 को हो गया। उसके बाद उनके जायज वारिसान मे कृषि भूमि निहित हो गई। जिसका विरासतन इंतकाल 483 दिनांक 29.01.2022 ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा स्वीकृत किया गया, जो विधि सम्मत था। स्वर्गीय स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिंह की विवादित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि थी जो स्वरूपसिह को श्रवणसिह पुत्र विश्नसिह से विरासतन प्राप्त हुई, इसलिए विवादित भूमि पैतृक भूमि थी। उक्त कृषि भूमि में कानून सभी वारिसो का बहिस्सा बराबर होता है। स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह द्वारा की गई तथाकथित वसीयत दिनांक 24.07.2018 विधि विरूद्व थी। कानूनन स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत की जा सकती थी। तहसीलदार नोहर के संमक्ष विचाराधीन वसीयत प्रकरण दिनांक 25.08.2020 तक ही चला था। उसके बाद पत्रावली लगभग 2 साल तक पेशी मे ही नही ली गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर भी नही हुई थी। मुझे जानकारी भी नही थी तो मियाद का बिन्दु लागू नही होता है। तीनो भाईयो के पक्ष बटवारा हुआ है, अपीलान्ट अपनी भाणजियो का हिस्सा खाने के लिए अपील पेश की है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 16.04.2024 के विरूद्व पेश की गई है, जिसके द्वारा तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 06.04.2022 को अपास्त कर प्रकरण को पुनः तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर नियमानुसार एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन कर निस्तारण करने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का निर्देश दिया है। इस प्रकरण में मुख्य विवाद पैतृक भूमि की वसीयत की गई या स्वय अर्जित संपत्ति की वसीयत की गई है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट वसीयत को सही बताता है जबकि रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक है, पैतृक भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2024 में अंकित किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह द्वारा दिनांक 24.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत निस्पादित की गई। स्वरूपसिह द्वारा निष्पादित वसीयत मे दर्ज भूमि पिता श्रवणसिह पुत्र बिशनसिह से प्राप्त हुई थी, स्वय द्वारा उपार्जित नही थी। कोई भी व्यक्ति स्वय द्वारा उपार्जित संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पैतृक संपत्ति की वसीयत नही कर सकता है। पैतृक संपत्ति मे केवल अपने हिस्से की संपत्ति की वसीयत कर सकता है। चूँकि स्वरूपसिह ने संपूर्ण भूमि की वसीयत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना कर निर्णय पारित किया गया है जिससे सहमत है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.04.2024 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर